न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—232/2019/225 (2019/00232)

1. श्रीमती चन्दा देवी पुत्री छीगना पत्नि श्रवणलाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी केसरीसिंहपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल निवासी सलेमाबाद, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती दुर्गादेवी पुत्री छीगना पत्नि जतनलाल, जाति बागड़ा, ब्राहम्ण, निवासी केसरीसिंहपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल निवासी सलेमाबाद, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. छीतर दत्तक पुत्र छीगना बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक बगरू, जिला जयपुर ।
4. उप पंजीयक, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर दिनांक 24.6.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 12/2015.

उपस्थितः—

1. श्री हगामीलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका एवं श्री तेजेन्द्रसिंह राठोड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 4.

निर्णय

दिनांकः— 24.11.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय दिनांक 24.6.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा0दी0 विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा अधी0न्याया0 में एक वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था । उपरोक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2015 की तारीख पेशी नियत थी, बरवक्त तारीख पेशी दिनांक 12.10.2015 को वादी के घर पर जरूरी कार्य होने से तारीख पेशी पर अधी0न्याया0 के समा उपस्थित नही हो सका तथा वादी ने अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने बगैर प्रार्थीगण को जानकारी दिये अधी0न्याया0 में पैरवी करने से मना कर दिया जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 12.10.2015 को ही उक्त प्रकरण अदम हजारी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अधिवक्ता द्वारा इंकारी या किसी प्रकार की की गई लापरवाही की सजा वादी/प्रार्थी नहीं भुगत सकता है । वादी को उक्त प्रकरण खारिज होने की सूचना मिलते ही अतिशीघ्र प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी की अनुपस्थिति अधी0न्याया0 में इरादतन न होकर उक्त कारणवश हुई है, जो पर्याप्त एवं उचित कारण है जिसे माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः वाद को पुनः नंबर पर लिया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 24.6.2019 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व 151 जा0दी0 निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस ने न्यायालय में पेशी दिनांक 12.2.2015 की अनुपस्थिति का अपने घर पर जरूरी कार्य होने से अधी0न्याया0 के समक्ष नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने बाबत् युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण दिया था और अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया था जिस पर अधी0न्याया0 ने विश्वास नहीं कर प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वंय एवं अभिभाषक द्वारा अनुपस्थित रहने का युक्तियुक्त कारण होना एवं अभिभाषक द्वारा न्यायालय में पैरवी करने से मना करने बाबत् अभिवचन किया था । इस आधार पर न्यायालय को अपीलांट को न्याय से वंचित रखना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निर्णय निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 को वाद को पुनः नंबर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था ना कि तकनीकी आधार पर । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी पक्ष न्याय से वंचित नहीं हो इसलिये प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व 151 जा0दी0 स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपीलांटस के निर्देशानुसार ही वाद में पैरवी करने से मना किया था । अपीलांटस को तारीख पेशी की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद जानबूझकर अनुपस्थित रहा । अपीलांटस अपने वाद के प्रति प्रारंभ से लापरवाह रहा है । तारीख पेशी की जानकारी होने के बावजूद प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है तथा विलंब के भी समुचित कारण अंकित नहीं किये है । वाद की जानकारी रखने तथा कार्यवाही का ध्यान रखने की जिम्मेदारी स्वंय वादी की भी है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष <u>वादीगण/अपीलांटस</u> ने वाद इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध <u>प्रतिवादीगण/रेस्पो0</u> दिनांक 1.11.

2013 को पेश किया था । उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थिति प्रदान की । तत्पश्चात् पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तलबी में शेष थी । किन्तु पत्रावली के विचाराधीन रहते दिनांक 12.10.2015 को वकील वादी ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर स्वंय को पत्रावली में पैरवी नहीं करने बाबत् अवगत कराया जिस पर अधी0न्याया0 ने वादी को आवाजें लगवाई, तथा वादी के उपस्थित नही होने पर वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करने के आदेश पारित किये है । उक्त वाद को रेस्टोर कराने हेतु प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अधी0न्याया0 के समक्ष पेशी दिनांक 12.10.2015 को वादी जरूरी कार्य होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था तथा वादी ने अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था जिन्होंने बिना बताये अधी0न्याया0 के समक्ष पैरवी करने से इंकार किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण अधिवक्ता द्वारा पैरवी करने से इंकार करने पर अधी0न्याया0 को वादीगण/अपीलांटस को अदालती नोटिस जारी कर उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं करने के संबंध में सूचित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वादीगण को नोटिस जारी किये बिना केवल मात्र वादी के अनुपस्थित रहने से वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारान के हित हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अधी0न्याया0 ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 खारिज करने में त्रुटि कारित की है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.6.2019 निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.6.2019 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादीगण के वाद को पुनः नंबर पर लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर